(d) The procedure for collection and payment of service tax is simple and no separate records are required to be maintained by a service tax assessee for the purpose of assessment.

Registration of Vehicles by RTOs

*20. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that passenger vehicles having capacity of more than 12 seats cannot be registered by the RTOs in the name of an individual but have to be registered in the name of trusts, societies or companies;

(b) if so, the reasons therefor and if not, the factual position in this regard;

(c) whether it is a fact that some RTOs are not registering such vehicles in individual names; and

(d) if so, what steps will be taken to inform the general public about the actual situation?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) and (b) No, Sir. There is no restriction on registration of a passenger vehicle having capacity of more than 12 seats in the name of an individual.

(c) No such instances have been brought to the notice of this Ministry. (d) Does not arise.

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS SET FOR THE 19th NOVEMBER, 1997

दिल्ली में ओ०बी० नम्बर जारी होने के बाद टेलीफोन लगाया जाना

1. **श्री रामगोपाल यादव:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अक्तूबर, 1997 तक दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन के लिये कितने आवेदकों को ओ०बी० नम्बर जारी किया गया है;

(ख) क्या आवेदकों को ओ०बी० नम्बर जारी किये जाने के बाद टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की कोई समय सीमा है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या इस समय सीमा पर कार्य रूप में अमल किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो क्या ओ०बी० नम्बर जारी किये गये सभी आवेदकों को समय सीमा के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन दिया जा चुका है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उपभोक्ताओं को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिया जायेगा?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) दिल्ली टेलीफोन्स में 1.4.97 से 31.10.97 की अवधि में 46501 ओ बी जारी की गई हैं।

(ख) और (ग) जी हां। टेलीफोन कनेक्शन, ओ बी जारी होने के 15 दिन के भीतर संस्थापित कर दिये जाने चाहिए और उन्हे चालू कर दिया जाना चाहिए। इस समय-सीमा का अनुपालन करने के सभी प्रयास किए जाते हैं और लगभग 72 प्रतिशत टेलीफोन, ओ बी जारी करने के 15 दिन के भीतर प्रदान कर दिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) ओ बी जारी होने के 15 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कुछेक मामलों में, निम्नलिखित कारणों से, टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके:

(i) कुछेक पॉकेटों में केबल पेयर या एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध न होने के कारण उनका तकनीकी रूप से व्यवहार्य न होना।

(ii) अत्यधिक मात्रा में रिलीज (बल्क रिलीज) के समय अत्यधिक कार्यभार बढ़ जाना।

(iii) कई बार उपभोक्ताओं की ओर से कमी होने के कारण।

उन सभी उपभोक्ताओं को 31.3.98 तक उत्तरोत्तर रूप से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे जिन्हें 31.10.97 तक ओ बी जारी कर दी गई है।

Waiting List of Telephone Connections for General Category Registrants in Rourkela

2. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to answer to